काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा जारी अधिसूचना सं0 225 सन् 1916 द्वारा स्थापित)

सम्पदा कार्यालय

पत्र0सं0: सम्पदा/2014–2015/ **दिनांकः 27.03.2015**

साईकिल/वाहन स्टैण्ड निविदा सूचना

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के **श्री विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित** वाहन/साईकिल स्टैण्ड़ एवं विश्वविद्यालय परिसर तथा राजीव गाँधी दक्षिणी परिसर, मिर्जापुर में खुलने वाली स्नैक बार कैन्टीन, दवा की दुकान, बुक स्टॉल, सब्जी एवं फल–जूस के दुकान, जलपान गृह आदि के संचालन हेतु मुहर बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उपरोक्त के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण एवं निविदा प्रपत्र कक्ष सं0 42, सम्पदा कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय– 221005 से दिनांक 30.03.2015 से 15.04.2015 के बीच किसी भी कार्यदिवस तथा कार्यालयीय समय में प्रातः 11.00 बजे से सायं 3.00 बजे के मध्य में रू0 300/– के नगद भुगतान पर प्राप्त कर सकते हैं। **पूर्ण रूप से भरे** हुए **निविदा आवेदन प्रपत्र** को उक्त विभाग में **जमा करने की अंतिम तिथि 15.04.2015 सायं 5.00 बजे** तक ही है। निविदा की विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय के वेवसाइट www.bhu.ac.in पर भी उपलब्ध है।

सहायक कुलसचिव(सम्पदा)

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा जारी अधिसूचना सं0 225, सन् 1916 द्वारा स्थापित)

वाराणसी –221005

निविदा सूचना

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के श्री विश्वनाथ मंदिर के निकट वाहन/साईकिल स्टैण्ड **एवं** विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न स्थानों तथा राजीव गाँधी दक्षिणी परिसर, मिर्जापुर स्थित गुमटी बनाकर दुकान, जलपान गृह, बुक स्टॉल, स्नैक बार कैन्टीन आदि के संचालन हेतु मुहर बन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं। इच्छुक व्यक्ति/संस्था निविदा प्रपत्र कक्ष सं0 42, सम्पदा कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से दिनांक 30.03.2015 से 15.04.2015 के बीच किसी भी कार्य दिवस तथा कार्यालयीय समय में प्रातः 11.00 बजे से सायं 3.00 बजे के मध्य में ` 300/– के नकद भुगतान पर प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा आवेदन प्रपत्र को उक्त विभाग में जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 15.04.2015 सायं 5.00 बजे तक ही है। निविदा की विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय के वेवसाइट www.bhu.ac.in पर भी उपलब्ध है।

सहायक कुलसचिव (सम्पदा)

FAX: (91) 542-2368487
Website: www.bhu.ac.in
Ph. No. 0542 – 2368487, 230-7251, 6701762

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा जारी अधिसूचना सं0 225, सन् 1916 द्वारा स्थापित)

सम्पदा कार्यालय

निविदा की नियम एवं शर्त

1. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर के **श्री विश्वनाथ मन्दिर** के पिकट **okgu@lkbfdy LVS.M** ds **11 महीनों** के संचालन हेतु मुहर बन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं।
2. निविदा प्रपत्र सम्पदा कार्यालय में **दिनांक 30.03.2015 से दिनांक 15.04.2015** तक प्रातः 11:00 बजे से सांय 3:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में (रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश के दिनों को छोड़कर) रू0 300/– के नकद भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है।
3. पूर्णरूप से भरी हुई **निविदा प्रपत्र** केन्द्रीय कार्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, ds सम्पदा कार्यालय, वाराणसी में दिनांक **15.04.2015 तक सांय 5:00 बजे** तक जमा की जायेगी।
4. प्रत्येक निविदा के साथ **रू0 25,000/– (रू0 पचीस हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट धरोहर राशि** के रूप में कुलसचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के नाम पर संलग्न करना अनिवार्य है। चेक अथवा नकद भुगतान स्वीकार नहीं किये जायेगें। उक्त धरोहर राशि को सफल व्यक्ति/संस्था के निविदा राशि में समायोजित कर लिया जायेगा एवं अन्य को **21 दिनों** के अन्दर धरोहर राशि लौटा दी जायेगी।
5. अधिकतम निविदा राशि अंकित करने वाले व्यक्ति/संस्था की निविदा को सफल निविदा माना जायेगा तथा उनके द्वारा अंकित राशि को उक्त **okgu@lkbfdy LVS.M** संचालन हेतु प्रतिमाह की **अनुज्ञप्ति शुल्क** मानी जायेगी।
6. सफल व्यक्ति/ संस्था का चयन सुनिश्चित हो जाने के पश्चात उनके द्वारा प्रस्तावित निविदा राशि की कुल धनराशि के साथ ही सर्विस टैक्स निविदा खुलने के 7 दिनों के अन्दर जमा कर देना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ okgu@lkbfdy LVS.M के संचालन हेतु राशि और बैंक गारंटी रू0 **02,50,000/– (रू0** दो **लाख पचा**स हजार **मात्र**) जमा नहीं किया गया तो उपरोक्त धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) **रू0 25,000/–** को जब्त कर लिया जायगा। निविदा में लगायी गयी कुल धनराशि के साथ सर्विस टैक्स तथा रू0 **02,50,000/– (रू0 दो लाख पचा**स **हजार मात्र)** बैंक गारंटी को जमा करने पर ही सफल व्यक्ति/संस्था को उपरोक्त okgu@lkbfdy LVS.M संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी। ऐसा न करने पर यह समझा जायेगा कि चयनित व्यक्ति / संस्था उपरोक्त okgu@lkbfdy LVS.M संचालन का इच्छुक नहीं है एवं उनके द्वारा जमा की गयी **रू0 25,000/– की धरोहर राशि** को **जब्त कर लिया जायेगा**, साथ ही साथ अगली अधिकतम राशि अंकित करने वाली निविदा पर विचार किया जायेगा।
7. **निविदा राशि पर देय सर्विस टैक्स @ रू0 12.36% प्रति माह की दर से अथवा समय – समय पर सरकार द्वारा परिवर्तित दर जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रत्येक माह की देय सीमा में जमा करना अनिवार्य होगा।**
8. धरोहर राशि के रूप में **रू0 2,50,000(रू0** दो **लाख पचा**स हजार **मात्र) राशि की बैंक गारंटी देना अनिवार्य होगा।**
9. **निविदा राशि की न्यूनतम स्वीकार्य दर रू0 25,000/– प्रति माह निर्धारित की गयी है। इससे कम राशि की निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।**
10. **सर्विस टैक्स के अतिरिक्त भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय – समय पर निर्धारित अन्य टैक्स /शुल्क भी निविदाकर्ता द्वारा देय होगा।**
11. निविदा में प्रस्तावित राशि सुपाठ्य एवं साफ सुथरी होनी चाहिए। निविदा राशि शब्दो एवं अंको दोनो में होनी चाहिए। निविदा राशि में की गयी किसी भी प्रकार का संशोधन (Overwriting) निविदा को निरस्त करने के लिए पर्याप्त होगा। यदि शब्दों एवं अंकों में दर्शायी गयी राशि में किसी प्रकार का अन्तर होता है तो दोनों में से जो अधिक राशि होगी वही मान्य होगी। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

12. दो या अधिक व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा अंकित की गई निविदा राशि समान पाये जाने पर, वाहन/साईकिल स्टैण्ड संचालन हेतु व्यक्ति/संस्था के चयन का अधिकार काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के पास होगा जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

13. अहस्ताक्षरित निविदा को अयोग्य घोषित करते हुए उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा।

14. इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं को यह सुझाव दिया जाता है कि वे निविदा राशि अंकित करने से पूर्व वाहन /साईकिल स्टैण्ड सुविधा के लाभार्थियों तथा स्टैण्ड हेतु उपलब्ध एरिया का आकलन करके ही निविदा राशि अंकित करें क्योंकि बाद में इन्हें आधार बनाकर निविदा दर में किसी प्रकार की शिथिलता का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

15. उक्त वाहन/साईकिल स्टैण्ड के आवंटी द्वारा विश्वविद्यालय के छात्रों/आध्यापकों एवं कर्मचारियों से कोई पार्किंग शुल्क नहीं वसूल किया जायेगा।

16. वाहन/साईकिल स्टैण्ड में नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों द्वारा साईकिल स्टैण्ड के लाभार्थियों एवं विश्वविद्यालय के छात्रों/कर्मचारियों एवं अध्यापकों से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा होगी।

17. वाहन/साईकिल स्टैण्ड के संचालक को पार्किंग हेतु आये वाहन/साईकिल निर्धारित क्षेत्र में ही रखना होगा।

18. चयनित व्यक्ति/संस्था किसी भी रूप में वाहन/साईकिल स्टैण्ड के संचालन हेतु बाल श्रमिक को नहीं रखेगी।

19. चयनित व्यक्ति/संस्था के द्वारा नियुक्त वाहन/साईकिल स्टैण्ड में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को किसी भी संक्रामक बीमारी से ग्रसित होने पर तत्काल प्रभाव से उन्हें तुरन्त सेवा से वंचित करना होगा।

20. विश्वविद्यालय सेवा में कार्यरत कोई भी कर्मचारी उपरोक्त निविदा को नहीं भर सकता।

21. चार पहिया वाहनों के पार्किंग हेतु दिया जाने वाला टिकट स्वः मुद्रित मशीन टिकट(Self Printing Ticket Machine) द्वारा दिया जाना अनिवार्य होगा।

22. विश्वविद्यालय बिना कारण बताये आमन्त्रित निविदा को रद्द करने का अधिकार रखता है।

23. प्रथमतः वाहन/साईकिल स्टैण्ड का आवंटन अस्थायी रूप से किया जायगा, तत्पश्चात निविदाकर्ता की पुलिस सत्यापन रिर्पोट के अनुकुल होने पर ही उक्त स्टैण्ड 11 माह की अवधि के संचालन के लिये आवंटन हेतु अनुबन्ध किया जायेगा। अन्यथा यह अस्थायी आवंटन रदद कर दिया जाएगा।

24. अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके द्वारा नियोजित किसी कर्मचारी के द्वारा दुर्व्यवाहार बल– प्रयोग अथवा हिंसा किये जाने पर अनुज्ञप्ति निरस्त की जा सकती है।

25. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा साइकिल स्टैण्ड हेतु निर्धारित जगहों पर सी सी टीवी कैमरा लगाना आवश्यक होगा एवं जिसके रख–रखाव की समपूर्ण जिम्मेदारी अनुज्ञप्तिधारी की होगी।

26. वाहन/साईकिल स्टैण्ड में लिए जाने वाला शुल्क निम्न दर से होगा : ।

बस	रू0 50/– प्रति वाहन
चार पहिया बड़ा वाहन	रू0 20/– प्रति वाहन
चार पहिया छोटा वाहन	रू0 10/– प्रति वाहन
आटो रिक्सा	रू0 10/– प्रति वाहन
स्कूटर/मोटरसाइकिल	रू0 5/– प्रति वाहन
साईकिल	रू0 2/– प्रति वाहन

कुलसचिव
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

FAX: (91) 542-2368487
Website: www.bhu.ac.in
Ph. No. 0542 – 2368487, 230-7251,
6701762

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा जारी अधिसूचना सं0 225, सन् 1916 द्वारा स्थापित)

सम्पदा कार्यालय

`300/- मात्र

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के **श्री विश्वनाथ मन्दिर** पर **स्थित वाहन/साइकिल स्टैण्ड संचालन हेतु निविदा प्रपत्र**

नवीनतम फोटोग्राफ

कुलसचिव
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी।

विषयः काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के **श्री विश्वनाथ मन्दिर पर स्थित वाहन/साइकिल स्टैण्ड संचालन हेतु निविदा**

महोदय /महोदया,

आपके द्वारा उपरोक्त वाहन/साइकिल स्टैण्ड संचालन हेतु आमन्त्रित निविदाओं हेतु मैं/हम अपनी निविदा आप द्वारा दी गयी निविदा सूचना शर्तो पर प्रस्तावित कर रहा हूँ/रही हूँ/रहे हैं।

01 मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तावित निविदा राशि (लाईसेन्स फीस) करों के अतिरिक्त रू0 .... (अंको में) रू0 .... (शब्दो में) प्रति माह है।

02. मैं/हम उपरोक्त वाहन/साइकिल स्टैण्ड के स्थान एवं स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट हूँ/हैं तथा निविदा सूचना में अंकित सभी शर्तो को ध्यान से पढ़ा/पढ़ी हूँ/पढ़े हैं। मैं/हम इस बात से भी सहमत हूँ/हैं कि उपरोक्त वाहन/साइकिल स्टैण्ड का संचालन की निविदा स्वीकृत होने के 07 (सात) दिनों के अन्दर प्रारम्भ कर दूँगी/दूगाँ/देगें।

03. मैं/हम अर्नेस्ट मनी के रूप में कुलसचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के नाम से **रू0 25,000/– (रू0 पचीस हजार मात्र)** का बैंक ड्राफ्ट नं0 ....बैंक का नाम................................ दिनांक .... इस प्रपत्र के साथ संलग्न कर रही हूँ/रहा हँ/रहे हैं। जिसकी वापसी की दशा में मेरे/हमारे द्वारा कोई ब्याज प्राप्य नहीं होगा।

04. मैं/हम इस बात से भी सहमत हूँ/ हैं कि यदि निविदा स्वीकार होने के 7 दिनों के अन्दर मैने/हमने कुल निविदा राशि सहित सर्विस टैक्स तथा **रू0 2,50,000/– (रू0 दो लाख पचास हजार मात्र**) बैंक गारंटी सम्पदा कार्यालय में जमा नहीं किया तो उपरोक्त धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) को जब्त कर लिया जाएगा।

05. मैं/हम इस बात से भी भिज्ञ हूँ/हैं कि कुलसचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय सर्वाधिक राशि वाली निविदा अथवा अन्य किसी निविदा को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं हैं।

06. उपरोक्त प्रस्तावित निविदा राशि मेरे/हमारे द्वारा शब्दो एवं अंकों दोनो में दी गयी है। यदि किसी भी प्रकार से दोनो में अन्तर पाया जाता है तो उनमें से जो राशि अधिक होगी वही मान्य होगा और इस सम्बन्ध में मुझे/हमें विश्वविद्यालय का अन्तिम निर्णय मान्य होगा।

(निविदा कर्ता का नाम) ....
पिता/पति का नामः...
स्थायी पताः ....
....
पत्राचार हेतु पताः ....
....
फोन/मोबाइल नं0 :

दिनांकः

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा जारी अधिसूचना सं0 225, सन् 1916 द्वारा स्थापित)

सम्पदा कार्यालय

मूल्य रू0 300/– मात्र

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर एवं राजीव गाँधी दक्षिणी परिसर बरकछा स्थित गुमटी बनाकर दुकान के संचालन हेतु निविदा प्रपत्र

कुलसचिव
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी।

विषयः काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर एवं राजीव गाँधी दक्षिणी परिसर बरकछा,मिरजापुर में स्थित गुमटी बनाकर दुकान के संचालन हेतु निविदा

महोदया/महोदय,

आपके द्वारा सूची संलग्न के अनुसार दुकान के संचालन हेतु गुमटी बनाकर दुकान के संचालन हेतु आमन्त्रित निविदाओं के अनुसार मैं/हम अपनी निविदा आप द्वारा निविदा सूचना दी गयी शर्तो पर प्रस्तावित कर रहा हूँ / कर रही हूँ /रहे हैं।

01. मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तावित निविदा राशि (लाईसेन्स फीस) रू0 .... (अंको में) रू0 . ...(शब्दो में) प्रति माह है।

02 मैं/हम उपरोक्त गुमटी बनाकर दुकान के स्थान एवं स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट हूँ/हैं तथा निविदा सूचना में अंकित सभी शर्तो को ध्यान से पढ़ी हूँ/पढ़ा हूँ/ पढ़े हैं। मैं/हम इस बात से भी सहमत हूँ/हैं कि उपरोक्त गुमटी बनाकर दुकान का संचालन की निविदा स्वीकृत होने के 01माह (30 दिनों) के अन्दर प्रारम्भ कर दूँगी/दूगाँ/देगें।

03. मैं/हम अर्नेस्ट मनी के रूप में कुलसचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के नाम से **रू0 15,000/– (रू0 पन्द्रह हजार मात्र)** का बैंक ड्राफ्ट नं0 ....बैंक का नाम................................ दिनांक .... इस प्रपत्र के साथ संलग्न कर रही हूँ/रहा हँ/रहे हैं। जिसकी वापसी की दशा में मेरे/हमारे द्वारा कोई ब्याज प्राप्य नहीं होगा।

04. मैं/हम इस बात से भी सहमत हूँ/ हैं कि यदि निविदा स्वीकार होने के 7 दिनों के अन्दर मैने/हमने कुल निविदा राशि सहित सर्विस टैक्स तथा लाईसेन्स फीस का तीन गुना सुरक्षित राशि (Security Money) रूपया सम्पदा कार्यालय में जमा नहीं किया तो उपरोक्त धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) को विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।

05. मैं/हम इस बात से भी भिज्ञ हूँ/हैं कि कुलसचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय सर्वाधिक राशि वाली निविदा अथवा अन्य किसी निविदा को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं हैं।

06. उपरोक्त प्रस्तावित निविदा राशि मेरे/हमारे द्वारा शब्दो एवं अंकों दोनो में दी गयी है। यदि किसी भी प्रकार से दोनो में अन्तर पाया जाता है तो उनमें से जो राशि अधिक होगी वही मान्य होगा और इस सम्बन्ध में मुझे/हमें विश्वविद्यालय का अन्तिम निर्णय मान्य होगा।

(निविदा कर्ता का नाम) ....
पिता/पति का नामः..
स्थायी पताः ....
....
पत्राचार हेतु पताः ....
....
फोन/मोबाइल नं0 :

दिनांकः

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा जारी अधिसूचना सं0 225, सन् 1916 द्वारा स्थापित)

सम्पदा कार्यालय

विश्वविद्यालय परिसर एंव राजीव गाँधी दक्षिणी परिसर बरकछा , मिर्जापुर में निम्नलिखित दुकानें खोली जानी है। निम्नलिखित दुकान हेतु अनुभवी /व्यक्तियों फर्मों से संलग्न शर्तों पर मुहर बन्द निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं।

01. मधुबन कैंटीन– काशी हिन्दू विश्वविद्यालय **परिसर के मधुबन स्थित नवनिर्मित कैंटीन।**

02. एस0 आर0 के0 छात्रावास (परिसर के श्रीविश्वनाथ मंदिर के पीछे)के निकट स्थित स्नैक बार कैंटीन (पुरानी कैंटीन की मरम्मत कराने के पश्चात) –

03. बुक स्टाल दुकान (गुमटी) –

विश्वविद्यालय के अभिन्न अंग राजीव गाँधी दक्षिणी परिसर के यह दुकान (पूर्व में प्रवेश द्वार के निकट) राजीव गाँधी दक्षिणी परिसर के कर्मचारियों एवं छात्रों आदि के लिए खोली जानी है। इस दुकान में कॉपी, किताब, कम्प्यूटर प्रिंटिंग एवं टंकण, मोबाइल रिचार्ज कुपन, फोटो कॉपी एवं स्कैनिंग आदि कार्य किया जाना है।

04. फल एवं फल–जूस तथा सब्जी की दुकान (गुमटी) –

इस दुकान में राजीव गाँधी दक्षिणी परिसर के कर्मचारियों अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के लिए परिसर में नाई की दुकान के बगल में भूमि आवंटित की गयी है जिस पर संचालक द्वारा स्वीकृत प्रारूपानुसार गुमटी बनाकर दुकान संचालन करना होगा।

05. दवा की दुकान(गुमटी) –

इस दुकान में विद्यार्थियों कर्मचारियों एवं अध्यापाकों की सुविधा हेतु फर्मासिस्ट रखकर दवाओं की बिक्री की जानी है। यह दुकान परिसर की नाई की दुकान के पास गुमटी बनाकर खोलने हेतु प्रस्तावित है।

06. स्नैक बार कैन्टिन–

परिसर के नाई की दुकान के पास स्वीकृत प्रारूपानुसार गुमटी बनाकर चाय, काफी, नाश्ता मीठा आदि की बिक्री किया जाना है एवं अनुमति प्राप्ति के एक माह के अन्दर दुकान खोलना अनिवार्य है। कार्बोनेटेड पेय पदार्थों जैसे– पेप्सी, कोका कोला एवं लिम्का इत्यादि तथा फास्ट फुड की बिक्री प्रतिबन्धित है।

07. जलपान गृह–

राजीव गाँधी दक्षिणी परिसर में निर्मित इस जलपान गृह में भोजन तथा नाश्ता के साथ दक्षिण भारतीय नाश्ता व्यंजनों की बिक्री भी की जानी है। कार्बोनेटेड पेय पदार्थों जैसे– पेप्सी, कोका कोला एवं लिम्का इत्यादि तथा फास्ट फुड की बिक्री प्रतिबन्धित है।

....

FAX: (91) 542-2368487
Website: www.bhu.ac.in
Ph. No. 0542 – 2368487, 230-7251, 6701762

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा जारी अधिसूचना सं0 225, सन् 1916 द्वारा स्थापित)

सम्पदा कार्यालय

निविदा की नियम एवं शर्त

1. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर एवं राजीव गाँधी दक्षिणी परिसर बरकछा मिर्जापुर में विभिन्न प्रकार की दुकानों के संचालन हेतु, (सूची सन्लग्न) 11 महीनों (जो कि अनुज्ञप्ति प्रदत्त व्यक्ति/संस्था के कार्य की गुणवत्ता इत्यादि को देखकर अनुज्ञप्ति शुल्क में उचित वृद्धि कर बढ़ायी भी जा सकती है), हेतु मुहर बन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती है जो कि सम्पदा कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (मुख्य परिसर) में दिनांक 30.03.2015 से 15. 04. 2015 तक सांय 5:00 बजे तक जमा की जायेगी। निविदा की अवधि प्रथमतः 11 महीनों के लिये होगी।
2. प्रत्येक स्थान पर निर्धारित दुकान हेतु अलग–अलग निविदा फार्म भरना अनिवार्य है।
3. प्रत्येक दुकान हेतु अलग से निविदा फार्म एवं धरोहर राशि का ड्राफ्ट सलग्न कर जमा करना अनिवार्य है।
4. उपरोक्त दुकान विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों, अध्यापकों एवं कर्मचारियों, मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए जलपान इत्यादि की व्यवस्था निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराने के लिए खोली जानी है। उक्त दुकानों के खुलने एवं बन्द होने का समय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित होगा।
5. निविदा प्रपत्र सम्पदा कार्यालय में दिनांक 30.03.2015 से 15.04.2015 बुधवार तक प्रातः 11:00 बजे से सांय 3:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में रू0 300/– के नकद भुगतान पर (सार्वजनिक अवकाश के दिनों को छोड़कर) प्राप्त किया जा सकता है।
6. प्रत्येक निविदा के साथ रू0 15,000/– का (रू0 पन्द्रह हजार मात्र) डिमांड ड्राफ्ट धरोहर राशि के रूप में कुलसचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के नाम पर संलग्न करना अनिवार्य है। चेक अथवा नकद भुगतान स्वीकार नहीं किये जायेगें। उक्त धरोहर राशि को सफल व्यक्ति/संस्था के निविदा राशि में समायोजित कर लिया जायेगा एवं अन्य को 21 दिनों के अन्दर धरोहर राशि लौटा दी जायेगी।
7. बिन्दु संख्या 19 के अधीन रहते हुए अधिकतम निविदा राशि अंकित करने वाले व्यक्ति/संस्था की निविदा को सफल निविदा माना जायेगा तथा उनके द्वारा अंकित राशि को उक्त दुकान हेतु प्रतिमाह की अनुज्ञप्ति फीस मानी जायेगी। अनुज्ञप्ति फीस पर सर्विस टैक्स एवं अन्य सरकारी देय टैक्स भी सफल व्यक्ति/संस्था को भुगतान करना होगा।
8. सफल व्यक्ति/संस्था का चयन सुनिश्चित हो जाने के पश्चात उनके द्वारा प्रस्तावित निविदा राशि की तीन गुना कुल धनराशि निविदा खुलने के 07 दिनों के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी अवस्था में धरोहर राशि वापसी के समय किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जायेगा। निविदा में लगायी गयी कुल धनराशि तथा धरोहर राशि को जमा करने पर ही सफल व्यक्ति/संस्था को उपरोक्त दुकानों को चलाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। ऐसा न करने पर यह समझा जायेगा कि चयनित व्यक्ति/संस्था उपरोक्त दुकानों को चलाने के इच्छुक नहीं है एवं उनके द्वारा जमा की गयी रू0 15,000/– की धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा, साथ ही साथ अगली अधिकतम राशि अंकित करने वाली निविदा पर विचार किया जायेगा

9. विश्वविद्यालय किसी एक अथवा सभी निविदाओं को बिना किसी पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार रखता है।

10. निविदा में प्रस्तावित राशि सुपाठ्य एवं साफ सुथरी होनी चाहिए। निविदा राशि शब्दो एवं अंको दोनो में होनी चाहिए। निविदा राशि में किया गया किसी भी प्रकार का संशोधन (Overwriting) निविदा को निरस्त करने के लिए पर्याप्त है। यदि शब्दो एवं अंको में दर्शायी गयी राशि में किसी प्रकार का अन्तर होता है तो दोनो में से जो अधिक राशि होगी वही मान्य होगी। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

11. दो या अधिक व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा अंकित की गई निविदा राशि समान पाये जाने पर, दुकान संचालन हेतु व्यक्ति/संस्था के चयन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास होगा जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

12. अहस्ताक्षरित निविदा को अयोग्य घोषित करते हुए उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा।

13. सफल व्यक्ति/संस्था जिनको कि उक्त दुकान चलाने हेतु अनुज्ञप्ति प्रदत्त किया जायेगा, उनकी दुकान की स्वच्छता, दुकान में बिक्री की जाने वाली सामाग्रियों की गुणवत्ता इत्यादि बनाये रखने की भी जिम्मेदारी होगी, जिसकी जाँच समय समय पर विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत व्यक्तियों से कराई जायेगी तथा इसमें किसी भी प्रकार की कमी या किसी भी तरह की लापरवाही अनुज्ञप्ति निरस्त करने का पर्याप्त कारण बन सकती है।

14. इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं को यह सुझाव दिया जाता है कि वे निविदा राशि अंकित करने से पूर्व परिसर स्थित विभिन्न जगहों (दुकान हेतु प्रस्तावित स्थलों) का अवलोकन करने के पश्चात् एवं इस सुविधा के लाभार्थी छात्रो, अध्यापको एवं कर्मचारियों की संख्या, दुकान भवन का क्षेत्रफल तथा विक्रय की जाने वस्तुओं का आकलन करके ही निविदा राशि अंकित करें, क्योंकि बाद में इन्हें आधार बनाकर निविदा दर में किसी प्रकार की शिथिलता का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

15. इच्छुक व्यक्ति/संस्था अपने निविदा के साथ दुकान/मेस चलाने का कार्य अनुभव का ब्योरा (यदि कोई हो तो) संलग्न करें। कार्य अनुभव वाले व्यक्तियों/संस्थाओं को कैण्टीन के अनुज्ञप्ति निर्गत करने में वरीयता प्रदान की जायेगी।

16. दुकान की साज सज्जा इत्यादि की स्तरीय व्यवस्था **अनुज्ञप्ति** प्रदत्त व्यक्ति/संस्था को ही अपने व्यय पर करनी होगी। कैण्टीन हेतु जल एवं विद्युत बिल का भुगतान बिल के आधार पर अलग से देय होगा।

17. उक्त दुकान हेतु फर्नीचर, वाटर कूलर एवं वाटर प्यूरीफायर की व्यवस्था सम्बन्धित **अनुज्ञप्तिधा**री/संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा ही करायी जायेगी।

18. उक्त दुकान में नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा होगी तथा उन्हें साफ सुथरे वर्दी में होना अनिवार्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी **अनुज्ञप्तिधा**री प्रदत्त व्यक्ति/संस्था की होगी।

19. निविदा में सफल व्यक्ति/संस्था को लाईसेन्स जारी करने से पहले उनका पुलिस/विश्वविद्यालय के मुख्य आरक्षाधिकारी द्वारा उनके चाल चलन इत्यादि का सत्यापन कराया जायेगा तथा चाल चलन अच्छा पाये जाने के पश्चात् ही **अनुज्ञप्ति** जारी किया जायेगा।

20. नामित व्यक्ति/संस्था द्वारा नियुक्त कैण्टीन में कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों का फोटोयुक्त आवासीय विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना होगा जिससे उनके चाल चलन इत्यादि का सत्यापन आवश्यकतानुसार कराया जा सके।

21. अनुज्ञप्ति अवधि के दौरान अनुज्ञप्तिधारी या दुकान से सम्बन्धित अन्य किसी व्यक्ति के चाल–चलन की शिकायत की जांच के सम्बन्ध में मुख्य आरक्षाधिकारी के निर्णय के आधार पर अनुज्ञप्ति निरस्त की जा सकती है।

22. चयनित व्यक्ति/संस्था के द्वारा नियुक्त दुकान में कार्यरत सभी कर्मचारियों को किसी भी संक्रामक बीमारी से ग्रसित होने पर विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि उन्हें तत्काल प्रभाव से दुकान की सेवा से वंचित करने का निर्णय ले सके तथा चयनित व्यक्ति/संस्था को उन्हें तुरन्त सेवा से वंचित करना होगा।

23. **चयनित व्यक्ति/संस्था किसी भी रूप में बाल श्रमिक को दुकान संचालन अथवा दुकान से सम्बन्धित किसी अन्य कार्य हेतु नहीं रखेगा।**

24. यदि दुकान संचालन हेतु जिला प्रशासन से किसी भी प्रकार के आदेश की आवश्यकता बनती है तो उसको प्राप्त करने की जिम्मेदारी चयनित व्यक्ति/संस्था की होगी।

25. प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय निर्धारित **अनुज्ञप्ति** शुल्क की समीक्षा करते हुए **अनुज्ञप्ति** की अवधि बढ़ाये जाने की स्थिति में यदि उचित समझा जायेगा तो उसमें 5 प्रतिशत की आवश्यक बढ़ोत्तरी भी करेगी, जिस पर सर्विस टैक्स भी देय होगा, जोकि **अनुज्ञप्ति** प्रदत्त व्यक्ति/संस्था को मान्य होगा।

26. निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी रखने हेतु यदि विश्वविद्यालय के संज्ञान में आता है कि किसी व्यक्ति/संस्था की निविदा भ्रामक है जो कि एक सुयोग्य निविदा को इस निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित होने में बाधा पहुचाँ रही है तो उस निविदा को निरस्त करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय बाध्यकारी,सर्वमान्य एवंम अन्तिम होगा।

27. विश्वविद्यालय एवं उसके किसी कर्मचारी के द्वारा इस निविदा प्रक्रिया में विश्वविद्यालय के हित में लिये गये निर्णय के विरूद्व किसी भी प्रकार का वाद अथवा अन्य विधिक प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

28. प्रस्तावित दुकानों हेतु प्रदत्त जगह पर ही दुकानों का संचालन किया जायेगा जिसका निर्माण आधुनिक तरीकों से करते हुए (मूल ढ़ांचे में बिना कोई बदलाव किये हुए) संचालक द्वारा किया जायेगा।

29. **विश्वविद्यालय सेवा में कार्यरत कोई भी कर्मचारी उपरोक्त निविदा को नहीं भर सकता।**

30. **विश्वविद्यालय की अनुज्ञप्ति सम्बधित परिनियमावली के अधीन अनुज्ञप्ति को निरस्त किया जा सकता है ।**

कुलसचिव
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय